

ह्यामालय उपलब्ध अधिमारी बनेडा
 रामचन्द्र वगैरे वनाद लाली देवी वगैरे
 विस्म- ५०५३
 नं० - 52/18

11.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकार मेघरास में पेश हुई। प्रार्थीगण संख्या 01, 02, 08 मय अधिवक्ता व विपक्षी संख्या 01 लाली देवी तेली स्वयं तथा राज्य पक्ष की और से तहसीलदार बनेडा शिविर के दौरान उपस्थित। चूंकि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद संख्या 18/2016 अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट को आज शिविर के दौरान मंजूर कर कर निर्णित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित/शेष नहीं रह जाती है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण बाबत स्थगन में विगत सुनवाई दिनांक 15.02.2018 से पारित अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को अपास्त करते हुए, आगे की कार्यवाही को इसी स्तर पर स्थगित कर, इसी के मूल वाद संख्या 18/2016 के साथ नत्थी किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

